न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी

आर.ए.एस

प्रकरण सं0 05/2016

अनवानीः–

राजस्थान राज्य

बनाम

1 बन्दी शिशपाल पुत्र खिराज राम जाति जाट सा. रामगढ पु0था0 नोहर।

दण्डित बन्दी

2 भोजराज पुत्र नन्द राम जाति जाट सा रामगढ तह0 नोहर।

(जमानतदार)

प्रकरण अर्न्तगत धारा 446 सीआरपीसी

उपस्थितः–

1ः–अभियोजन अधिकारी ।

–निर्णय–

दिनांकः–22.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इन्सपैक्टर जनरल जेल चण्डीगढ द्वारा बन्दी शिशपाल को चार सप्ताह का पेरोल अवकाश स्वीकृत किया गया। इस आदेश की पालना में बन्दी की ओर से अप्रार्थी सं. 2 द्वारा 1,00,000/– रूपये के जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत तस्दीक कर जिला कलक्टर एव जिला मजि0 हनुमानगढ द्वारा बन्दी का मुचलकानामा सलंग्न कर Addl. Director General Of Police Prisions Punjab Chandigarh व Superinendent Central jail Ferozpur को पत्रांक 2305–06 दिनांक 25.03.13 से भिजवाया गया। तत्पश्चात् Director General Of Police Prisions Punjab Chandigarh ने मैसेज दिनांक 29.4.2013 से अवगत कराया कि बन्दी पेरोल अवधि दिनांक 29.03.13 से 26.04.13 व्यतीत करने के बाद दिनांक 27.04.13 को जेल में उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए बन्दी के संबंध में प्रस्तुत जमानतनामा में उल्लेखित राशि को जब्त किया जावे।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रथमतः प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ में दिनांक 03.11.2014 को दायर हुआ। दिनांक 29.12.16 को यह प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी सं0 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आया। जबाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 24.11.17 को अप्रार्थी सं. 2 का जबाब बन्द किया गया।

बहस सुनी गयी। अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि बन्दी को पेरोल अवधि में जमानतदार द्वारा जमानत मुचलके पेश होने पर बन्दी को पेरोल के लिए रिहा किया गया था । बन्दी का निश्चित समय पर संबंधित जेल में उपस्थित नहीं होने के कारण बन्दी के जमानतदार द्वारा दी गयी जमानत राशि जब्त की जानी उचित होगी।

बहस पर मनन किया गया। है। बन्दी को स्वीकृत पैरोल पर रिहा करने के लिए अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जमानत द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। जमानतदार का दायित्व था कि वे बन्दी को नियत दिनांक को संबंधित कारागार में उपस्थित करवाते परन्तु जमानतदार द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है । धारा 446 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जमानतदार द्वारा दी गयी जमानत राशि जब्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में बन्दी के पक्ष में अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दी गयी जमानत राशि जब्त की जानी उचित है।

अतः बन्दी की पेरोल अवधि के लिए अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दी गयी जमानत 1,00,000/– राशि जब्त की जाती है। जमानत राशि वसूल करने हेतु प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलक्ट्रेट हनुमानगढ को निर्णय की एक प्रति जमानत राशि वसूल करने बाबत व प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट हनुमानगढ व Superinendent Central jail Ferozpur Punjab को निर्णय की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़